



2026:AHC: 10396

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 42742/2025

मिट्टू

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरुणेश कुमार सिंह, बिजय कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1- कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका को बल न देने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है, साथ ही बेहतर अभिकथनों और दस्तावेजों के साथ नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मांगी गई है।

2- प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

3- रिट याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

16 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।